Witness No.------03-------For -----प्रतिवादी साक्ष्य ----Deposition taken

the --- **11.11.2025---** day of .... Witness's apparent age **--38--** years

States on affirmation .... my name is------- श्री राम अवतार पटेल---------

son of----------श्री दादूलाल पटेल**...........**-occupation -----कृषि----------

address ग्राम सेमरिया **,** तहसील – लवन**,** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा **(**छ.ग.**)**

Time- 03:30 PM to

नोटः– साक्षी के द्वारा अपना शपथ पत्रिय साक्ष्य अंतर्गत आदेश 18 नियम 04 व्य. प्र. सं. दिनांक 25.04.2025 को प्रस्तुत किया गया है जो कंडिका 01 से 07 तक है। साक्षी को आज दिनांक 11.11.2025 को पुनः शपथ दिलाकर परीक्षण प्रारंभ किया गया।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री जवाहर जायसवाल वास्ते वादी</u>

08. यह कहना सही है कि वादी छत्तराम हमारे गांव का रहने वाला है । यह कहना सही है कि हमारे गांव में सरकारी जमीन है । यह कहना गलत है कि हमारे गांव में सरकारी जमीन पर धान संग्रहण केंद्र बनाया जाना है, इस संबंध में ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव का दस्तावेज मैं लेकर नहीं आया हूं और ना ही ग्राम पंचायत द्वारा पेश किया गया है । यह कहना गलत है कि सरकारी जमीन में गांववाले अवैध कब्जा कर मकान बनाकर निवासरत है ।

09. यह कहना सही है कि वादी छत्तराम ही एकमात्र गांव में अवैध कब्जा का मकान निर्माण किया है । यह कहना सही है कि वादी द्वारा निर्मित मकान को शासन एवं ग्राम पंचायत द्वारा तोडवाया नहीं गया है, साक्षी स्वतः कहता है कि वादी के विरूद्ध बेदखली आदेश जारी हुआ था । यह कहना सही है कि आजतक वादी को उक्त मकान से बेदखल नहीं किया गया है । यह कहना गलत है कि उक्त भूमि चारागाह के रूप में उपयोग नहीं होता है, साक्षी स्वतः कहता है कि उक्त भूमि धान विक्रय केंद्र के लिए दिया गया है ।

10. यह कहना सही है कि शासन के द्वारा ग्राम पंचायत सेमरिया को उक्त शासकीय भूमि को धान संग्रहण केंद्र बनाया जाना है, के बाबत प्रतिवेदन नहीं दिया गया है । यह कहना सही है कि ग्राम पंचायत सेमरिया में कथित शासकीय भूमि को चारागाह के रूप में अथवा धान संग्रहण केंद्र बनाया जाना है, के बाबत किसी भी प्रकार से मुनादी एवं ईस्तेहार प्रकाशन नहीं हुआ है । यह कहना सही है कि छत्तराम ने गांववालों के विरूद्ध रिपोर्ट लिखवाया है । यह कहना सही है कि उक्त आपराधिक मामले में गांववाले लवन थाना गये थे एवं जमानत भी करवाए है ।

11. यह कहना सही है कि वादी छत्तराम के नाम पर ग्राम सेमरिया में 10-12 डिस्मिल भूमि एवं 03 एकड़ कृषि भूमि होने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है । यह कहना गलत है कि वादी छत्तराम अपने ससुराल से अपने ग्राम सेमरिया सुख-दुख के काम में आता-जाता रहता है । यह कहना सही है कि छत्तराम जहां पर मकान बनाया है, वहां पर मैं नहीं रहता हूं । यह कहना सही है कि वादी और मैं अलग-अलग जाति के हैं ।

Time- 03:50 pm

साक्षी को पढ़कर सुनाया।
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशानुसार टंकित।

गवाह के हस्ताक्षर

सही/-

PRASHANT KUMAR BHASKAR

Digitally signed by PRASHANT KUMAR BHASKAR
Date: 2025.11.11 16:00:06 +0530

सही/-

(प्रशांत कुमार भास्कर)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी
बलौदाबाजार के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश बलौदाबाजार (छ.ग.)

(प्रशांत कुमार भास्कर)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी
बलौदाबाजार के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश बलौदाबाजार (छ.ग.)